



A. K. SPINTEX LIMITED

Regd. Office : 14th K.M. Stone, Chittorgarh Road,
Village : Biliya Kalan, BHILWARA - 311 001 (Raj.)
CIN No. L17117RJ1994PLC008916
Mobile : +91 98870 49006
E-mail : akspintex@gmail.com
web. : www.akspintex.com

31st MAY,2023

Online Filling at www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager
DCS-CRD
Bombay Exchange Ltd.
Rotunda Building
P.J. Tower, Dalal Street, Fort
MUMBAI - 400001

BSE SCRIP: 539300

Sub: Regulation 47 and other applicable regulations, if any, of the SEBI (LODR) Regulation,2015
Newspaper publication of Financials in Newspaper

Respected Sir,

With reference to above, please note that the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2023 of A.K. Spintex Limited has been published on 30th May, 2023 in Financial Express and Nafa Nuksaan having circulation in whole india

Enclosed herewith please find copy of the newspaper cuttings.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully

For, A.K. SPINTEX LIMITED.

FOR: A.K. SPINTEX LTD.
ASHISH KUMAR BAGRECHA

Ashish Kumar Bagrecha

COMPANY SECRETARY

ASHISH KUMAR BAGRECHA
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER

Encl: a/a

Date: 24.05.2023
Place: Delhi

Sd/-
Authorised officer
ORIX Leasing & Financial Services India Limited

A.K. SPINTEX LIMITED

Regd. Office:-14 K.M. STONE, CHITTOR ROAD, BILYA-KALAN, BHILWARA-311001 (RAJ.) Ph: 9887049006, 9929139002
Email:-akspintex@gmail.com; Website:-www.akspintex.com (CIN: L17117RJ1994PLC008916)

Audited Financial Result for the Quarter and Year Ended March 31, 2023 (Rs. In Lacs)

Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended	Year Ended
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2021
	Audited	Audited	Audited	Audited
Total income from operations (net)	3232.28	2265.01	11643.27	7265.08
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	154.38	83.58	732.42	180.84
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	154.38	83.58	732.42	180.84
Equity Share Capital	503.17	503.17	503.17	503.17
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)			2549.38	1816.96
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted (In Rs.)	3.07	1.66	14.56	3.59
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted (In Rs.)	3.07	1.66	14.56	3.59

Notes: The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the quarter and Year ended 31st March, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats on Financial Results are available on the Stock Exchange websites of BSE at www.bseindia.com and company's website at www.akspintex.com.

For and on behalf of Board of Directors
For A.K. SPINTEX LIMITED
Sd/-
(Prakash Chand Chhabra)
Managing Director (DIN: 00155631)

Date: 30.05.2023
Place: Bhilwara

VINAYAK POLYCON International Ltd.

Regd. Office : 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur - 302006 • Ph. : 0141-2377007, Fax: 0141-2378830, Email: investor@vinayakpolycon.com, Website: www.vinayakpolycon.com
CIN NO. : L25209RJ2009PLC030620 (Amount Rs. In Lakhs)

Extract of the Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023

S.No.	Particulars	3 Months Ended	3 Months Ended	3 Months Ended	Year Ended	Year Ended
		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (net)	625.12	598.86	474.09	2187.27	1528.71
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	1.84	11.86	6.58	18.62	2.67
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	1.84	11.86	6.58	18.62	2.67
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.14	4.89	7.09	11.7	4.21
5	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) for the period (After Tax) and other Comprehensive Income (After Tax))	2.14	4.89	7.09	11.7	4.21
6	Equity Share Capital	308.13	308.13	308.13	308.13	308.13
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the balance sheet of previous year	-	-	-	140.90	129.20
8	Earning per share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	1. Basic:	0.07	0.16	0.23	0.38	0.14
	2. Diluted:	0.07	0.16	0.23	0.38	0.14

Note: (1) These Standalone Ind AS Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued thereunder. (2) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and website of the Company (www.vinayakpolycon.com).

For and on behalf of the Board
Sd/-
Bharat Kumar Baid (Managing Director)

Place: Jaipur
Date: 30th May, 2023

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LTD.

CIN NO.L51909UP1933PLC146675
SHAMLI DIST.SHAMLI UTTAR PRADESH 247 776
Phone no.01398-250064, Fax No. 01398-250032
Email: uds_m_shamli@sirshadilal.com; website: www.sirshadilal.com

Abstract of Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2023 (Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Total Income from Operations	19123.83	15511.21	14440.17	55296.81
Net Profit/(+)/Loss(-) for the period/before tax, Exceptional and/or Extraordinary items]	(+301.53)	(-538.86)	(+603.56)	(-2962.19)
Net Profit/(+)/Loss(-) for the period before tax [after Exceptional and/or Extraordinary items]	(+301.53)	(-538.86)	(+603.56)	(-2962.19)
Net Profit/(+)/Loss(-) for the period after tax [after Exceptional and/or Extraordinary items]	(+301.53)	(-538.86)	(+603.56)	(-2962.19)
Total other Comprehensive income	(-153.36)	(+14.46)	(-2.34)	(-194.18)
Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other comprehensive income for the period (after tax))	(+148.17)	(-524.40)	(+601.22)	(-3056.37)
Reserves excluding revaluation reserve (Rs.44559.14 Lacs)				(-16084.21)
Paid-up Equity Share Capital	525.00	525.00	525.00	525.00
Earnings per share (not annualized of Rs. 10/-) Basic and Diluted	(+5.743)	(-10.264)	(+11.496)	(-56.423)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.sirshadilal.com
2. The financial results for the quarter and Year ended 31st March, 2023 are in compliance with Indian Accounting Standards (IND-AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs. Consequently, the financial results for the corresponding quarter and year ended 31st March, 2023 have been restated to comply with IND-AS to make them comparable.
3. The Audited financial statements for the quarter & year ended 31st March, 2023 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2023.

For Sir Shadi Lal Enterprises Ltd.
Sd/-
(Rajat Lal)
Managing Director
(DIN:00112489)

Place: New Delhi
Dated: 30th May, 2023

Secured by the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Orix Leasing & Financial Services India Ltd., will be sold through public auction on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" on 19-06-2023 for recovery of INR 1,24,87,906/- (Rupees One Crore Twenty Four Lac Eighty Seven Thousand Nine Hundred Six only) as on 31st May, 2023 due to Orix Leasing & Financial Services India Ltd. from M/s. Himanshu Jute Fab, Nirmal Kumar Gupta, Meena Gupta & amp; Himanshu Gupta (borrower and co-borrower(s)). The Reserve Price will be INR 95,00,000/- (Rupees Ninety Five Lakhs Only) and the Earnest Money Deposit (EMD) will INR 30,00,000/- (Rupees Thirty Lac Only).

DESCRIPTION OF MORTGAGE PROPERTY

ALL THAT PART AND PARCEL OF PROPERTY BEING HOUSE NO. 149, KHASRA NO. 10 & amp; 11, HAIDERPUR, OLD LAL DORA, VILLAGE SHALIMAR BAGH, DELHI-110088 ADMEASURING AREA APPROX 175 SQ. YARDS

Interested bidders may contact Authorised Officer: Mr. Sukhwant Singh (Contact Details: +91-98103 89922) for any queries during the working hours from Monday to Saturday and for detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the website of Orix Leasing & Financial Services India Ltd., i.e. <https://www.orixindia.com/leasing.php>

Date: 29-05-2023

Place: DELHI

Loan No. LN000000006561

Sd/-
Authorised Officer
ORIX Leasing & Financial Services India Limited

POLYCON International Ltd.

Regd. Office: 48-49, Lane no. 2, Gopalbadi, Ajmer Road, JAIPUR (Rajasthan)-302001
CIN: L28992RJ1991PLC006265 • Email: info@polyconltd.com • Website: www.polyconltd.com

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2023 (Amount Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations (Net)	525.11	651.22	832.21	2622.04
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2.90	2.60	7.42	14.59
3	Net Profit/(Loss) for the period Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	2.90	2.60	7.42	14.59
4	Net Profit/(Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	-2.00	2.60	6.67	6.43
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (After Tax) and other comprehensive income (after tax)]	-2.00	2.60	6.67	6.43
6	Equity share capital (Face value of Rs. 10/- each)	543.55	543.55	543.55	543.55
7	Earning per share (Face Value Rs. 10/- each)				
	1. Basic	-0.04	0.05	0.14	0.13
	2. Diluted	-0.04	0.05	0.14	0.13

Notes:
(A) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended Audited financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and year to date financial results are available on the stock exchange website www.bseindia.com and on company's website www.Polyconltd.com

Sd/-
RAJIV BAID
MANAGING DIRECTOR
DIN-00212265

Place: Jaipur

Date: 30th May, 2023

AASHRIT CAPITAL LIMITED

(Formerly Jalan Cement Works Limited)
Regd. Office : Select CityWalk, 6th Floor, A-3, District Centre, Saket, New Delhi 110017
CIN: L65923DL1972PLC17436
Email id : jalacementworkslimited@gmail.com; Website : www.aashritcapital.com
Tel. No. : 911-46599999

(AMOUNT IN LAKHS)

S. No.	Particulars	For The Quarter Ended On		For Year Ended On	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations (net)	1,114.10	415.14	5,661.54	1,003.45
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	27.38	39.61	2,585.23	152.80
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	27.38	39.61	2,585.23	152.80
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(7.12)	43.42	2,308.60	173.12
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(7.12)	43.42	2,308.60	173.12
6	Equity share capital	1,120.25	1,120.25	1,120.25	1,120.25
7	Reserve (excluding revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet of previous year	15,213.46	14,492.26	15,213.46	14,492.26
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)				
	a) Basic	(0.06)	0.39	20.61	1.55
	b) Diluted	(0.06)	0.39	20.61	1.55

SEGMENT REPORTING (AMOUNT IN LAKHS)

S. No.	Particulars	For The Quarter Ended On		For Year Ended On	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Segment Revenue				
	a) Segment-NBFC	1,114.10	415.14	5,661.54	995.34
	b) Segment- Real Estate	-	-	-	-
	c) Unallocated	-	-	-	8.11
	Total	1,114.10	415.14	5,661.54	1,003.45
	Gross Revenue	1,114.10	415.14	5,661.54	1,003.45
2	Segment Results				
	a) Segment-NBFC	27.38	39.61	2,585.23	152.80
	b) Segment- Real Estate	-	-	-	-
	c) Unallocated	-	-	-	-
	Profit/Loss Before Tax	27.38	39.61	2,585.23	152.80
3	Segment Assets				
	a) Segment-NBFC	17,793.27	17,367.61	17,793.27	17,367.61
	b) Segment- Real Estate	-	275.00	-	275.00
	c) Unallocated	-	-	-	-
	Total Assets	17,793.27	17,367.61	17,793.27	17,367.61
4	Segment Liabilities				
	a) Segment-NBFC	1,459.56	2,030.10	1,459.56	2,030.10
	b) Segment- Real Estate	-	-	-	-
	c) Unallocated	-	-	-	-
	Total Liabilities	1,459.56	2,030.10	1,459.56	2,030.10

Notes:-
1. The above audited financial results for the quarter and year ended on 31.03.2023 have been reviewed by the Audit committee and have been approved by the Board at their meeting held on 30.05.2023
2. The figures of quarter ended on 31.03.2023 are the balancing figure between audited figures in respect of financial year 2021-22 and the published year to date figure upto third quarter of the financial year 2022-23
3. There are two reportable Segments as per Indian Accounting Standard (IndAS) 108 "Operating Segment".
4. The Company has adopted Ind AS 17 "Leases" effective 1 April 2019, as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standard) Amendment Rules, 2018, using modified retrospective method. The adoption of this standard did not have any material impact on the profit of the current quarter.
5. Previous period figure has been regrouped/rearranged wherever necessary.

For Aashrit Capital Limited
Sd/-
Nimish Arora
Managing Director
DIN : 01982312

Place: Delhi
Date: 30.05.2023

संपादकीय

मौद्रिक प्रबंधन के अंतर्गत 2000 रुपए के नोट की वापसी, कालाबाजारियों को चेतावनी

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने स्तर पर देश में 2000 रुपए के नोट की छपाई को रोकने तथा 30 सितंबर 2023 तक उसे बाजार से वापस लेने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि 3.50 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट की कानूनी मान्यता यथावत बनी रहेगी। यह कुल प्रचलन के दस प्रतिशत से भी कम है और जो लोग 30 सितंबर 2023 तक जमा नहीं करवाएंगे। उसके बावजूद इसकी कानून वैधता यथावत रहेगी। रिजर्व बैंक इसके पश्चात इस पर विचार कर सकता है। देश को गत वर्षों से मुद्रा प्रसार दर वृद्धि का भी सामना करना पड़ रहा है। अनेक प्रयासों के पश्चात हालांकि रिजर्व बैंक ने मुद्रा प्रसार दर को काबू कर लिया है और अप्रैल के दौरान मुद्रा प्रसार दर घटकर 4.7 प्रतिशत ही रह गई है, लेकिन रिजर्व बैंक के 2-6 प्रतिशत के लक्ष्य से कुछ अधिक अवश्य है। 2000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर करने का निर्णय एक बड़ी मात्रा में मुद्रा को प्रचलन के बाहर भी करना हो सकता है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कालाधन बड़ी मात्रा में 2000 रुपए के नोट का ही हिस्सा है और इसको अगर रोका जाता है, इसके प्रसार को बंद किया जाता है तो करोड़ों रुपए नकद काला धन रखने वाले ऐसे कारोबारियों के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। रिजर्व बैंक के आयकर विभाग भी ऐसे नोट बदलने वालों की बैंकों के माध्यम से पहचान कर सकते हैं, जिनके साथ कालेधन का भी संबंध हो सकता है। एक सीमा से अधिक नोट बदलने वाले लोगों पर आयकर विभाग की निगाह रह सकती है। देश के विपक्षी दल हालांकि रिजर्व बैंक के इस निर्णय की आलोचना कर रहे हैं। लोकतंत्र में आलोचना करना विपक्ष व नागरिकों का अधिकार है, लेकिन समय के अनुसार रिजर्व बैंक का यह निर्णय तर्कसंगत अवश्य लगता है। देश के आम आदमी को इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन का ही हिस्सा है। इसी के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है। रिजर्व बैंक डॉलर खरीद बिजली के माध्यम से भी इसी तरह नकद तरलता को कम करने का प्रयास कर सकता है। इससे डॉलर के भावी प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है तथा इससे बांड पर लघु अवधि की आय में कमी भी आ सकती है,

लेकिन ऐसे हालात उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक बाजार में नकद तरलता उसी अनुपात में उपलब्ध भी कर लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि देश में जिस तरह कॉर्पोरेट औद्योगिक उपभोक्ता मांग में सुधार हो रहा है, उसे देखते हुए रिजर्व बैंक अतिरिक्त नकद तरलता भी उपलब्ध कर सकता है क्योंकि मुद्रा प्रसार बढ़ने की संभावना नहीं लगती है। देश में उत्पादन बढ़ रहा है, उपभोग भी संतुलन के साथ बढ़ रहा है और निवेश की गतिशीलता सरकार व निजी क्षेत्र के साथ विदेशी निवेशकों के स्तर पर देखी जा सकती है। रिजर्व बैंक निश्चित रूप से पर्याप्त नकद तरलता उपलब्ध रखेगा, ताकि कॉर्पोरेट क्षेत्र को अग्रिम कर भुगतान में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश के बैंकिंग उद्योग के लिए यह तिमाही और अधिक महत्वपूर्ण व आकर्षक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि जमाओं की रफार कमजोर रहने के बावजूद बैंकों को ऋण साख में व्यापक उछाल देखने को मिल रहा है। देश में जमाओं की ब्याज दर में कुछ सुधार अवश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऋण साख की मांग तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक गतिविधियों व निवेश में तेजी से सुधार हो रहा है। गत तिमाही के दौरान बैंकों की ऋण साख 16-17 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, जबकि बैंकों की जमाओं में केवल 10-11 प्रतिशत की वृद्धि संभव हो सकी है। रिजर्व बैंक इस स्तर पर भी बैंकिंग प्रणाली के हालात को लेकर संतुष्ट है, क्योंकि बैंकों की शुद्ध ब्याज आय बढ़ रही है और बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियां गत एक दशक के न्यूनतम स्तर पर देखी जा सकती हैं। बैंकों की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण साख तेजी से बढ़ रही है। यह कंपनियां अधिकांश ऋण छोटे उद्योगों, व्यापारियों व व्यक्तिगत ऋण लेने वाले नागरिकों को उपलब्ध कर रही है। यह कंपनियां बड़े उद्योगों को ऋण नहीं देती है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। यह निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था में निजी निवेश में सुधार का प्रतीक कहा जा सकता है। अनेक बड़ी कंपनियां घरेलू मांग में सुधार को देखते हुए अपनी क्षमता विस्तार का निर्णय ले चुकी है। यह उत्पादन वृद्धि को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन कहा जा सकता है। यह कार्य हालांकि विलंब से शुरू हुआ है, लेकिन देश में घरेलू मांग जिस तरह बढ़ रही है, उसी के अनुरूप निवेश के क्षमता वृद्धि

भी आवश्यक है। इस क्षेत्र में पिछड़ने पर पुनः मुद्रा प्रसार वृद्धि की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल मांग के अनुरूप क्षमता का भी देश में विस्तार हो रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा बाजार में पर्याप्त नकद तरलता उपलब्ध किए जाने से आर्थिक विकास निवेश व उत्पादन को समान रूप से प्रोत्साहन मिलने की संभावना है और इससे मुद्रा प्रसार दर में कमी व रुपए के विनिमय मूल्य में भी स्थिरता आने की संभावना है और इससे 2000 रुपए के नोट को वापस लिए जाने की कार्यवाही का भी असर समाप्त हो जाने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग उद्योग को यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अर्थव्यवस्था में मांग के अनुरूप नकद तरलता का अभाव निवेश उत्पादन व उपभोग के लिए नहीं रहेगा। वर्ष 2016 के विमोद्रीकरण के पश्चात जो हालात उत्पन्न हुए थे, वैसे हालात उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि कोविड के पश्चात से ही रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त नकद तरलता प्रवाहित कर चुका है और आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए रिजर्व बैंक तैयार भी है। आज देश अधिकांश ऑनलाइन सौदों की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है और पहले जैसी आवश्यकता नकद राशि की देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी पूरी संभावना है। आज देश में एक मजबूत सरकार है, मजबूत केन्द्रीय बैंक है और 2016 के हालात की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक का यह निर्णय देश में जमाखोरों, कालाबाजारियों, कालाधन जमाकर्ताओं, मनी लाउंडरर्स के लिए अवश्य ही चुनौती है, क्या यह लोग जमा कालाधन लोगों को लाइन में खड़ा करके बदला संकेतों। फिलहाल यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन रिजर्व बैंक का यह निर्णय ऐसे कालाबाजारियों, कालाधन जमा करने वालों को तो स्पष्ट चेतावनी व चुनौती भी है। यह निर्णय सरकार व रिजर्व बैंक द्वारा कालेधन के प्रवाह को रोकने के लिए की गई प्रभावशाली कार्यवाही है। इससे आम नागरिकों, कारोबारियों, व्यवसायों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रिजर्व बैंक ने पर्याप्त समय दिया है और नोट को बदलने की कार्यवाही को पूरी तरह आसान भी कर दिया है। बैंकों में इस संबंध में आम नागरिकों के साथ पूरी तरह सहयोग करना होगा, जो व्यक्ति नोट बदलवाने के लिए जाता है, उसको हर तरह की बिना अनावश्यक पूछताछ के सुविधा सुलभ करनी होगी।

सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जा किए हुए प्लाट पर आवंटन की अनुमति नहीं

राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के सदस्य अध्यक्ष प्रेम नारायण के समक्ष एक याचिका कानून की धारा 2(1)(d) तथा 21(b) के अंतर्गत जनजागरण समिति बनाम विमला देवी व अन्य संबंधित प्रकरण में विचारार्थ प्रस्तुत की गई। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता जन जागरण समिति ने एक शिकायत कानपुर डवलपमेंट अधिकरण के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम कानपुर के समक्ष दर्ज की थी। इसमें सेवा दोष का आरोप लगाते हुए कहा गया कि वह उसके प्लाट को रेग्युलराइज नहीं कर रहा है। यह प्लाट उसके कब्जे में है। यह प्लाट संस्था के कब्जे में लंबे समय से है तथा शिकायतकर्ता संस्था ने इस प्लाट पर कुछ निर्माण भी किया हुआ है। इस शिकायत का कानपुर विकास अधिकरण के द्वारा विरोध किया गया तथा कहा गया कि ऐसा कोई प्लाट संख्या 57A नहीं है तथा यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है और शिकायतकर्ता को आवंटन नहीं की जा सकती है। जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपना आदेश आरक्षित कर दिया। 16.12.2003 को विमला देवी व दुलीचन्द जो प्लाट संख्या 181 तथा 183 के मालिक हैं, ने जिला फोरम को आवेदन करके प्लाट संबंधित आदेश को जारी नहीं करने का अनुरोध किया तथा कहा कि उनको सुनने के पश्चात ही उपरोक्त प्लाट संबंधित कोई निर्णय सुनाया जाना चाहिए। इस आवेदन में उपरोक्त दोनों ने कहा कि संस्था ने अवैध ढंग से प्लाट संख्या 57A पर कब्जा कर रखा है तथा संस्था के द्वारा अवैध निर्माण भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निर्मित है तथा इस प्लाट का उपयोग रास्ते के पास रूप में किया जाना चाहिए जो मार्ग उनके घर की ओर जाता है। जिला फोरम ने उपरोक्त शिकायत पर सुनवाई के लिए 18.12.2003 की तिथि तय की तथा जिला फोरम के विरुद्ध अपीलेंट ने रिजर्व बैंक पिटिशन प्रस्तुत की है जो राज्य आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गई तथा राज्य आयोग ने इस पर विचार के लिए 19.1.2004 की तिथि सुनवाई के लिए तय की, लेकिन जिला फोरम में 18.12.2003 को सुनवाई हुई तथा जिला फोरम ने प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि कानपुर विकास अधिकरण प्लाट संख्या 57A जो 161 वर्ग मीटर का है, उसके नियमन का कार्य शीघ्र करें। इस आदेश के विरुद्ध विमला देवी तथा

कानपुर विकास अधिकरण ने अलग-अलग दो अपील राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत की तथा सभी पक्षों को सुनने के पश्चात राज्य आयोग ने जिला फोरम के आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। इस संपूर्ण प्रकरण पर स्थगन आदेश दे दिया गया, लेकिन कानपुर विकास अधिकरण ने इस स्थगन के बावजूद उपरोक्त प्लाट 57A के संबंध में शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटन कर दिया और उसका नियमन भी कर दिया तथा कानपुर अधिकरण ने राज्य आयोग से अपनी अपील वापस लेने के लिए भी आवेदन किया, लेकिन विमला देवी ने राज्य आयोग के स्थगन के विरुद्ध किए गए इस आवंटन के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आग्रह किया। इसके उत्तर में राज्य आयोग ने कानपुर विकास अधिकरण के आदेश को निरस्त कर दिया तथा कहा कि अधिकरण को किसी ट्रेस पास करने वाले के पक्ष में निर्णय दिया जाना अनुचित है। इसी संदर्भ में कानपुर अधिकरण के अधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया तथा अधिकरण के उपाध्यक्ष से कहा कि वह उन सभी अधिकारियों के नाम बताएं जिन्होंने यह गलत कार्य किया है तथा जिन्होंने राज्य आयोग ने 19.1.2004 के आदेश को अवहेलना करके प्लाट का नियमन किया है। इस आदेश के विरुद्ध रिजर्व बैंक पिटिशन संख्या 1354 वर्ष 2008 दायर की गई, जिसमें राज्य आयोग ने अधिकरण द्वारा स्वीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कर दिया था। आयोग ने सभी पक्षों के पक्ष को सुनने के पश्चात कहा कि जन जागरण समिति एक पंजीकृत संस्था है। संस्था ने वर्ष 1991 में ही नियमन के लिए 2000 रुपए अधिकरण के पास जमा कराए थे, जबकि यह प्लाट ही विवादग्रस्त रहा है। यह समिति के द्वारा राशि जमा नहीं की गई थी। वरन् एक व्यक्ति के द्वारा जमा राशि जमा की गई थी जो बाद में इस समिति का महामंत्री बन गया था। इस संबंध में समिति यह नहीं कह सकती है कि उसने कुछ राशि जमा करवाई है। ऐसे हालात में यह समिति किसी तरह उपभोक्ता का अधिकार नहीं रखती है। केडीए ने भी कहा है कि मास्टर प्लान में ऐसा कोई 57A प्लाट नहीं है तथा सार्वजनिक भूमि का आवंटन किसी के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि उपरोक्त सभी तथ्यों

के आधार पर तो समिति की कोई शिकायत पर जिला फोरम कोई विचार नहीं कर सकता है। अतः 18.12.2003 तथा 19.12.03 के जिला फोरम के आदेश ही उचित व न्यायोचित नहीं है। इसी के संदर्भ में केडीए द्वारा जो सेटसडीड का क्रियान्वयन किया गया है, वह अनुचित व गैर कानूनी है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर राष्ट्रीय आयोग ने जन जागरण समिति द्वारा दायर रिजर्व बैंक पिटिशन को खारिज करने का आदेश दिया तथा कहा कि 22.10.2004 विक्रय पत्र को निरस्त करने के पश्चात अधिकरण इस प्लाट के निस्तारण का कोई कार्य अधिकरण की नीति के आधार पर कर सकता है। इससे पूर्व सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रीय आयोग ने पुनः सभी पक्षों को सुनने के पश्चात अपने आदेश में कहा कि स्थगन के बावजूद अगर केडीए विक्रय पत्र को क्रियान्वित करना चाहता था तो शिकायतकर्ता को स्थगन की जानकारी देनी ही चाहिए थी। आयोग ने इस शिकायत के संदर्भ में कहा कि 1354 आरपी के अंतर्गत यह शिकायत खारिज हो गई है। इसी संदर्भ में विक्रय पत्र भी निरस्त कर दिया गया है। आयोग ने कहा कि अब अपीलेंट के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत कार्यवाही केडीए के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही राज्य आयोग के समक्ष लंबित है। ऐसे हालात में राज्य आयोग द्वारा जो 6 माह की गिरफ्तारी का आदेश अधिकारियों के विरुद्ध दिया गया है, वह निरस्त किया जाता है। अगर अधिकारियों के विरुद्ध दायर वाद पर निर्णय सुना दिया गया है तथा राज्य आयोग इस संबंध में आदेश दे चुका है। ऐसे हालात में 22.2.2008 का 6 माह की जेल का आदेश भी संशोधित होगा तथा अपीलेंट को 10000 शांति का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही दोनों पक्षों को राज्य आयोग के समक्ष आगामी 8.5.2009 को पुनः सुनवाई के लिए उपस्थित होना होगा।

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी न्याय निर्णय मूल निर्णयों की नकल नहीं हैं। यह निर्णय मूल निर्णयों को पढ़कर पाठकों के हित में प्रकाशित किये गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर मूल निर्णयों को अवश्य देखें।

-संपादक

हेल्थ • सोसायटी • एज्युकेशन

समय की मांग

रक्तदान से बढ़ रहा, हर दानी का मान। जनता को भी चाहिए, कई सतत ये दान। साभार :- शारदा-नवल जगा

आज का विचार

जितनी अल्प आवश्यकताएं होंगी, जीवन्त उतना ही सुखी होगा। - अज्ञान

नफा नुकसान

स्वाधिकाकारी कुशाप पब्लिकेशनस प्रा. लि. के लिए मुद्रक व प्रकाशक जितेन्द्र कोठारी द्वारा 52-53, कल्याण कॉलोनी, मालवीया नगर, जयपुर-17 (रजि. ऑफिस) एवं 204, गौरव टॉवर मालवीया नगर, जयपुर-17 (कार्यालय) से प्रकाशित एवं कुशाप पब्लिकेशनस प्रा. लिमिटेड, एसपीएल-4(ए), सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित। सम्पादक: वैभव कोठारी (पीआरबी) एडर के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) फोन: 0141-4011152 0141-3518087 ई-मेल: info@nafanuksan.com

डिस्कलेमर नफा नुकसान में प्रकाशित हर प्रकार के कंटेंट के जरिए पाठकों को कारोबारी जगत में हो रहे घटनाक्रमों की जानकारी, विश्लेषण, सुचनाएं आदि देने का प्रयास रहता है। इनमें से कई बार ऐसे से कंटेंट का प्रकाशन भी हो सकता है जो नफा नुकसान के पास उपलब्ध जानकारी से मेल नहीं खाता हो व अलग हो। इसलिए नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट के आधार पर अगर कोई कैसा भी निर्णय करता है तो उसकी जिम्मेदारी नफा नुकसान नहीं लेता है। पाठक स्वयं अपने विवेक से ही निर्णय करें इसी अपेक्षा की जाती है। नफा नुकसान में जिन विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है उनके बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि नफा नुकसान का किसी भी विज्ञापनदाता से विज्ञापन के अलावा अन्य कोई सरोकार नहीं है और न ही विज्ञापनों में दर्शाई सामग्री का कोई समर्थन नफा नुकसान द्वारा किया जाता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण व दावे के लिए विज्ञापनदाता ही जिम्मेदार होगा। नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट लेखकों, न्यूज एजेंसी व संपादकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं जिनपर पूरी तरह से नफा नुकसान का सर्वाधिकार है। नफा नुकसान में प्रकाशित किसी भी तरह के कंटेंट का किसी भी व्यक्ति, संस्थान या अन्य द्वारा बिना नफा नुकसान की लिखित अनुमति के प्रकाशन व प्रसारण किया जाना गैर-कानूनी होगा।

'भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति'

(2) निरंतरता- भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता निरंतरता है। यह सर्व विदित है कि भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है और अधिकांश पुरानी परंपराओं को हम आज भी निभाते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों जैसे वैदिक ग्रंथों की आज भी मान्यता है। कहने का आशय है कि विश्व के कई अन्य देशों यथा रोम, मिश्र, ईरान, बेबीलोन आदि की तरह हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई है, वह आज भी जिंदा है। अर्थात् भारतीय संस्कृति हजारों सालों बाद भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है। उदाहरणार्थ-भारत में सूर्य तथा अन्य देवी-देवताओं, नदियों, बरगद के पेड़ जैसे वृक्षों की पूजा का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है, जो आज भी जारी है।

(3) आध्यात्मिकता- आध्यात्मिकता को भारतीय संस्कृति का प्राण कहा जाता है। त्याग और तपस्या, आध्यात्मिकता के मुख्य भाग है। मनुष्य जब त्याग को अपना लेता है, तब उसे हर तरफ से संतोष की प्राप्ति होती है। दृष्टव्य है कि त्याग से मनुष्य की लालच और स्वार्थ जैसी बुरी भावनाओं का नाश होता है तथा त्यागी पुरुष प्रत्येक काम संयम से करता है। भारतीय संस्कृति का प्रधान गुण भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों को साथ-साथ लेकर चलना है। वस्तुतः प्राचीन काल में मनुष्य के चार पुरुषार्थ यथा- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा चार आश्रम-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इसी भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को प्रमाणित करते हैं।

(4) अनेकता में एकता- भारत का क्षेत्र उत्तर के पहाड़ी इलाकों से लेकर पूर्व की ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम की सिंधु नदी तक फैला हुआ है। दक्षिण में घने जंगलों से लेकर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी भारत में हैं। पश्चिम में रेगिस्तान तथा दक्षिण में तटीय प्रदेश स्थित है। इस प्रकार भारत में भौगोलिक रूप से अनेक विविधताएं हैं। इसके अतिरिक्त भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी काफी भिन्नता है। साथ ही भारत में विभिन्न धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, समुदाय के लोग रहते हैं। इन लोगों की भाषा, रहन-सहन, खान-पान और बोलचाल में भी काफी भिन्नता है। इतनी सारी विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होने के बावजूद भी सांस्कृतिक रूप से भारत एक है और उपरोक्त वर्णित कारणों से ही भारत को 'अनेकता में एकता' का देश कहा जाता है। भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विशेषताओं और विविधताओं को उत्पन्न करती है तथा इसी कारण भारत में खान-पान से लेकर रहन-सहन, वेशभूषा व रीति-रिवाजों में विभिन्नता दिखाई देती है। - क्रमशः - पीसी वर्मा, पूर्व उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर।

वैश्विक तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष जान बूझकर मृत्यु का आलिंंगन करते हैं लोग

सम्प्रेषण

किसी भी डॉक्टर के पास शिकायत लेकर जाने पर अक्सर पहली राय यही दी जाती है कि, आप तंबाकू सेवन या बीड़ी-सिगरेट पीना छोड़ दो। तंबाकू ऐसी वस्तु है जिसे देश और विदेशों में नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विडम्बना यही है कि यह जानते बुद्धते हुए भी कि, यह हमारे जीवन के लिये अत्यंत हानिकारक है। फिर भी वेधड़क सेवन किए जा रहे हैं। फिर चाहे वह खाने में हो या पीने में हो। तंबाकू पीने के लिए हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, पाइप आदि की खोज कर ली गई, फलतः आज इन वस्तुओं का उद्योग दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। अक्सर आप टीवी पर अभिनेताओं को इसका विज्ञापन करते भी देखेंगे। उन्हें भी क्या.....? उनको तो अपनी रकम से मलब फिर कोई जिए या मेरे! क्या उनके मन में विस्था कितनी विकट है कि इसका अनुमान इस बात से भी लग जाता है कि विकसित राष्ट्रों में यह कुल मौतों का बीस प्रतिशत हिस्सा है। महिलाओं में बढ़ते धूम्रपान की वजह से अब उनमें कैंसर का खतरा ज्यादा मंडराने लगने है। अमेरिका और इंग्लैंड में फेफड़ों के कैंसर से मरने वाली महिलाओं में लगभग तीन-चौथाई धूम्रपान करने वाली औरतें होती हैं। अनुमान है कि इस दशक में फेफड़ों के कैंसर से मरने वाली लगभग नब्बे प्रतिशत औरतें असल में तम्बाकू जन्य बीमारियों के कारण अकाल काल का प्रास बन जायेंगी। सार्वजनिक स्थानों में भी लोग धूम्रपान करने में गुरेज नहीं करते हैं। इनके ही कारण तम्बाकू या धूम्रपान से नाता न रखने वालों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ गया है। चूँकि वे भले ही तम्बाकू से दूर रहते हों, लेकिन आस पास उलगे गये सिगरेट के धुँये से ये बच नहीं सकते। पता चला है कि सिगरेट - बीड़ी के धुँये से भरे वातावरण में सांस लेने के कारण धूम्रपान न करने वालों में फेफड़े का कैंसर होने का जोखिम तीस से लगभग पैंतीस प्रतिशत बढ़ गया है।

एक समाचार के अनुसार जिन देशों में सिगरेट के दुष्प्रभाव को लोगों ने नजदीक से देखा है, उन देशों में सिगरेट पीने वालों की संख्या बहुत घट गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे कई विकसित देशों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के हवाले से जो आकड़े दिये हैं, उनसे पता चलता है कि कई देशों में अब तंबाकू एवं सिगरेट पीने वालों का प्रतिशत लगभग दस से भी नीचे आ गया है। लेकिन विकासशील देशों में स्थिति बिल्कुल

अलग है। भारत जैसे देश में धूम्रपान का अभी तेजी से प्रसार हो रहा है, और उच्च आय वर्ग में यह फैशन का भी अंग बनता जा रहा है। यहां के लोग तंबाकू के दुष्प्रभाव को न समझते हों, ऐसी बात नहीं है, पर उनकी यह जानकारी सैद्धांतिक ही है। तंबाकू के जानलेवा दुष्प्रभाव को अभी विकासशील देशों में देखा ही नहीं गया है, और अगर देखा भी गया है तो उसे अनदेखा कर दिया जा रहा है।

भारत जैसे देश में कुछ तबकों को छोड़कर महिलाएं धूम्रपान नहीं किया करतीं। पर इधर कुछ सालों में नारी मुक्त आंदोलन के प्रभाव से बहुत सी औरतों के लिए तंबाकू सिगरेट सुलगाणा, अपने बंधनों को तोड़ने का प्रतीक बन चुका है। अनुमान है कि विश्व में कम से कम तीस लाख व्यक्ति तंबाकू संबंधित कारणों से ही इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। इनमें एक तिहाई विकासशील देशों के हैं। यह स्थिति कितनी विकट है कि इसका अनुमान इस बात से भी लग जाता है कि विकसित राष्ट्रों में यह कुल मौतों का बीस प्रतिशत हिस्सा है। महिलाओं में बढ़ते धूम्रपान की वजह से अब उनमें कैंसर का खतरा ज्यादा मंडराने लगने है। अमेरिका और इंग्लैंड में फेफड़ों के कैंसर से मरने वाली महिलाओं में लगभग तीन-चौथाई धूम्रपान करने वाली औरतें होती हैं। अनुमान है कि इस दशक में फेफड़ों के कैंसर से मरने वाली लगभग नब्बे प्रतिशत औरतें असल में तम्बाकू जन्य बीमारियों के कारण अकाल काल का प्रास बन जायेंगी। सार्वजनिक स्थानों में भी लोग धूम्रपान करने में गुरेज नहीं करते हैं। इनके ही कारण तम्बाकू या धूम्रपान से नाता न रखने वालों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ गया है। चूँकि वे भले ही तम्बाकू से दूर रहते हों, लेकिन आस पास उलगे गये सिगरेट के धुँये से ये बच नहीं सकते। पता चला है कि सिगरेट - बीड़ी के धुँये से भरे वातावरण में सांस लेने के कारण धूम्रपान न करने वालों में फेफड़े का कैंसर होने का जोखिम तीस से लगभग पैंतीस प्रतिशत बढ़ गया है।